केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/Coor0ORDR(पीयूबीडी)/1/2022/पार्ट(1)/e-100059 09.03.2023

<u>परिपत्र</u>

विषय: प्राइवेट विद्यार्थियों, 2022-23 के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश।

आवश्यकता के अनुसार और परीक्षा उपविधियों में निहित प्रावधानों के अनुसार **बारहवीं कक्षा के प्राइवेट विद्यार्थियों** की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जानी अपेक्षित है:

(1) 2022 के विद्यार्थी जिनके प्रैक्टिकल विषय/विषयों के अंक प्रैक्टिकल में पुनरावृत्ति (आरपी) / थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों में पुनरावृत्ति (आरबी) / अनुपस्थित होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

(2) 2021 के विद्यार्थी जिनके प्रैक्टिकल विषय/विषयों के अंक प्रैक्टिकल में पुनरावृत्ति (आरपी) / थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों में पुनरावृत्ति (आरबी) / अनुपस्थित होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

(3) 2020 और उससे पहले के विद्यार्थी, जिन्होंने अपने संबंधित प्रैक्टिकल विषय में प्राइवेट श्रेणी में सभी विषयों में आवेदन किया है।

प्रैक्टिकल घटक न होने वाले विषयों के संबंध में कोई परियोजना आकलन/आंतरिक आकलन नहीं किया जाएगा। परियोजना आकलन/आंतरिक आकलन के अंकों की संगणना वर्तमान परीक्षा यानी 2023 में थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथानुपात की जाएगी।

आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों द्वारा निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाए:

(ए) प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां

प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 मार्च 2023 से 29 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएंगी।

(बी) प्रैक्टिकल परीक्षाओं का स्थान

प्रैक्टिकल परीक्षाएं थ्योरी परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी।

(सी) बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक की नियुक्ति

क्षेत्रीय कार्यालय बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति केन्द्र अधीक्षक द्वारा अपने विद्यालय के शिक्षकों में से की जायेगी।

आन्तरिक परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु किसी भी विषय में केन्द्र विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में निकटवर्ती विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

(डी) प्रैक्टिकल के लिए उत्तर पुस्तिकाएं

प्रैक्टिकल परीक्षा के संचालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आपूर्ति की गई प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षक प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक और सही ढंग से पूरा करता है।

(ई) अंकों की अपलोडिंग

प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन के बाद, केंद्र उन प्राइवेट विद्यार्थियों के अंक अपलोड करेंगे, जिनकी केंद्र में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं के हस्ताक्षर के बाद अवार्ड सूची भी प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन ही अपलोड की जाएगी, जैसा कि परिपत्र संख्या सीबीएसई/Coor0ORDR (पीयूबीडी) /1/2022/प्रैक्टिकल/ई–71926 दिनांक 27/12/2022 द्वारा परिचालित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के लिए दिशा-निर्देश और एसओपी के परिशिष्ट–II (पृष्ठ–9-10) के खंड 10, 11, 12 और 13 में बताया गया है।

केंद्र पर आवंटित प्राइवेट विद्यार्थियों की सूची केंद्र/विद्यालय लॉग–इन खाते में दिखाई देगी। केंद्र विद्यालय अपने लॉग–इन खातों से अंक अपलोड कर सकते हैं।

(एफ) छात्रों/परीक्षार्थियों द्वारा कार्रवाई

विद्यार्थी/ परीक्षार्थी अपने पिछले परिणाम / मार्कशीट की एक प्रति और वर्तमान परीक्षा यानी 2023 के प्रवेश पत्रक के साथ अपने परीक्षा केंद्रों से अवश्य संपर्क करेंगे।

विद्यार्थी / परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र द्वारा दी गई प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख और समय को नोट करेंगे और परीक्षा केंद्र पर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए समय पर रिपोर्ट करेंगे।

(जी) परीक्षा केन्द्रों द्वारा कार्रवाई

(i) परीक्षा केन्द्र का केन्द्र अधीक्षक उन सभी विद्यार्थियों की सूची तैयार करेगा जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं कक्षावार एवं विषयवार आयोजित की जानी हैं।

(ii) परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक जहां भी आवश्यक हो, बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से पहले से संपर्क कर लेंगे।

(iii) परीक्षा केन्द्र का केन्द्र अधीक्षक किसी भी परिस्थिति में अपने स्तर पर बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा।

(iv) बाह्य परीक्षकों की उपलब्धता, परीक्षार्थियों की सुविधा एवं तिथिपत्रक को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि एवं समय निर्धारित किया जायेगा।

(v) विद्यार्थियों/परीक्षार्थियों को परीक्षाओं के आयोजन की तिथियों और समय के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा।

(vi) प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन की योजना की जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों को दी जायेगी।

(एच) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

(i) क्षेत्रीय कार्यालय उन सभी विद्यार्थियों की सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं केंद्रवार और विषयवार आयोजित की जानी हैं।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय भी विद्यार्थियों को उनकी लंबित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में सूचित करेगा।

(iii) क्षेत्रीय कार्यालय जहां भी आवश्यक हो, अग्रिम रूप से बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं को समय पर पूरा करना, अंकों को अपलोड करना और प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं की क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: वेब प्रबंधक को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।